मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67 | अगस्त, 2022 | अंक 08 | कुल पृष्ठ 8

खेत, किसान व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 'कृषि नीति' हेतु महत्वपूर्ण सुझाव...

इस लेख को श्री के.के. अग्रवाल, जबलपुर, म.प्र. में
श्री रूपेंद्र पटेल तथा डॉ. ब्रजेष अर्जरिया के सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रगतिशील, अनुभवी किसानों, विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिको, संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, समूहों तथा जनप्रतिनिधियों से फीड बेक, चर्चा व सलाह मशविरा कर कृषि नीति हेतु सुझाव का मसौदा ;ड्राफ्टद्ध तैयार किया गया है, जिसे केंद्र व प्रान्त सरकार, नीति आयोग तथा सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं राजनैतिक पार्टियों को विचारार्थ एवं स्वीकार करने के आग्रह के साथ प्रेषित किया गया है।

(1) बजट का आबंटन

खेत, किसान व ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्तमान में केंद्र द्वारा उनके कुल बजट में 6 से 7 प्रतिशत का आबंटन तथा प्रान्त द्वारा उनके कुल बजट में 11 प्रतिशत का आबंटन पूर्ण रूप से अपर्याप्त है, इस बजट में किसान व गांव के उत्थान की कल्पना बेमानी है। 65 प्रतिशत आबादी के लिए यह आबंटन न्याय संगत कैसे हो सकता है? विडम्बना है कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता में किसान, खेत व ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा है।

''जब गांव समृ(होंगे तो देश समृ(होगा'', गांधी जी की यह कल्पना तभी साकार हो सकेगी जब इस क्षेत्र के लिए बजट में पर्याप्त धन राशि का प्रावधान हो, अन्यथा कुछ भी नीतियां, योजनाएं बना लें, जब पैसे ही नहीं होंगे तो नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है?

हमारा सुझाव है कि इस क्षेत्र के लिए बजट में कम से कम 25 प्रतिशत बजट का आबंटन होना चाहिए। किसानों की पूर्व से मांग रही है कि किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) लाभकारी मूल्य

(i) उत्पाद की लागत गणना, किसानों द्वारा की गई औषत गणना के आधार पर अंगीकार की जाए...

किसान अभी भी घाटे में खेती कर रहे हैं, उसके उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पा रही है, ऐसे में जब तक उसे लाभकारी मूल्य न मिले, उसके उत्थान की कल्पना संभव नही हैं। विडंबना है कि किसान के उत्पादन लागत की गणना अभी बंद ए.सी. कमरों में बैठकर ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जिसका मैदानी वास्तविकता से कोई लेना देना नही होता। उत्पादों की लागत मूल्य की गणना, किसानों से लिये गए फीड बेक के आधार पर, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में वास्तविक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

लागत मूल्य आयोग मात्र एक दिखावा बन कर रह गया है, इसमे जमीन से जुड़े, खेत मे रहकर खेती करने वाले वास्तविक किसानो की भागीदारी न केवल सुनिश्चित हो, वरन उनकी

आवाज भी सुनी जाए। उन्हें महत्व दिया जाए। बिना लाभकारी मूल्य प्राप्त किये प्रगति की अगली पंति में किसान कैसे खड़ा हो सकता है?

(ii) डॉ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए...

डॉ स्वामीनाथन ने सन् 2006 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्पस्ट कहा था कि– C2+50% यानी किसान की सभी तरह की लागत को जोड़कर उस पर अतिरिक्त 50% दिया जाए, अन्यथा किसान व खेत को बचाना असंभव हो जाएगा।

इस रिपोर्ट को उक्त फार्मूले के साथ लागू किया जाए। व इसी आधार पर समर्थन मूल्य सभी जिंसों का, व सब्जियों, फल व दूध आदि का भी निश्चित किया जाए। वर्तमान में सरकार 23 जिंसों का समर्थन मूल्य घोषित करती है, पर सबकी खरीद नहीं होती, खरीद सभी जिंसों की सुनिश्चित की जाए।

(iii) खरीद की गारंटी का कानून बने...

समर्थन मूल्य से नीचे खरीद न हो पाए इस हेतु खरीद गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमे समर्थन मूल्य से नीचे खरीद पर दंड का प्रावधान हो।

समर्थन मूल्य पर खरीदी सीमित समय की जगह, पूरे साल भर तक की जाए, जिससे खरीद में होने वाली परेशानियो से किसान मुक्त हो सके। इससे सरकार को भी आर्थिक लाभ होगा, भंडारण से मुक्ति मिलेगी व अनाज की बर्बादी रुकेगी।

(3) मनरेगा

ग्रामीण उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के लिए प्रति वर्ष बजट में आबंटन प्रावधान कम होता जा रहा है, इसमे बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

मनरेगा को कृषि से सम्बद्ध कर छोटे किसानों की खेती किसानी तथा ग्रामीण छोटे उद्योगों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट्स, आदि कार्यो से जोड़ा जाना चाहिए। मेढ़ बंधान, नहर, वृक्षा रोपण, तालाब, प्राकृतिक खेती, गाय पालन, खेती हेतु गोबर, मूत्र का एकत्रीकरण आदि सामूहिक कार्य तथा खेती से जुड़े अन्य सभी कार्य एवं मनरेगा से स्मार्ट विलेज योजना कार्य भी कराए जाने से गांव से शहर का पलायन रुकेगा। गांव में रोजगार उपलब्ध होंगे। गांव विकसित होंगे। हमारी यह भी मांग है कि मनरेगा में मजदूरी वर्तमान मंहगाई के अनुपात में बढ़ाई जाए।

(4) ब्याज मुक्त ऋण एवं जी एस टी मुक्त कृषि आदान

खेती किसानी के लिए किसानों को कृषि यंत्रों सहित सभी आदानों तथा छोटे उद्योग धंधों के लिए व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कृषि आदान सामग्री, कृषि उपकरणों को जी एस टी व अन्य समस्त टेक्स की परिधि से अलग किया जाना चाहिए। जब कृषि उपज पर इनपुट क्रेडिट का कोई प्रावधान नहीं है तो टेक्स क्यों? इसे समाप्त किया जाए।

(5) किसानों को पूर्णतः ऋण मुक्त किया जाए

डॉ स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2007 में लागू की जानी थी, अब से 15 साल पहले। इन 15 सालों में उसे लाभकारी मूल्य से वंचित होना पड़ा। इस प्रकार किसानों को इसके अंतर का लगभग 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ, यह राशि सरकार ने लाभकारी मूल्य न देकर किसानों से बचा ली। यदि उसे उनके मुताबिक समर्थन मूल्य मिल जाता तो वह कर्जदार न होता। अतः उसका कर्ज जो लगभग 10,12 लाख करोड़ है, सभी छोटे बड़े किसानों का माफ किया जाए। किसान को पूर्ण रुप से)ण मुक्त किया जाना जरूरी है, ताकि वह उन्मुक्त होकर अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें।

ऋण राहत आयोग के गठन की किसानों की पुरानी मांग स्वीकार की जाए। कुड़की जैसी प्रक्रिया को बंद किया जाए।

(6) सुनिश्चित आय की गारंटी

(v) कृषि आय आयोग का गठन किया जाए। जिसमें किसानों की न्यूनतम

(अ) आय की गारंटी सुनिश्चित की जा सके।

(ब) किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक सहायता दी जाए।

(स) राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग का गठन किया जाए।

(7) फसल बीमा एवं राजस्व प्रावधानों के अनुसार मुआवजा

(अ) फसल बीमा योजना में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। अभी इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान के नियमों में किसानों को क्लेम मिलना नमुमकिन है।फसल बीमा को 'नो प्रोफेट नो लास' बेसिस पर शासन द्वारा चलाया जाना चाहिए। बीमा को सरलीकृत करके सार्थक, व्यवहारिक बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक किसान, प्रत्येक खेत, प्रत्येक फसल के आधार पर अन्य बीमा पालिसियों की तरह फसल बीमा पॉलिसी भी विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा पारदर्शिता के साथ बनाई जाए। बीमा पॉलिसी प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराई जाए।

(ब) राजस्व संहिता के खंड 6/4 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा समयानुकूल संसोधन कर इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, मुवावजा राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।

(8) स्मार्ट विलेज/ गांव बनाये जाएं

स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज भी बनाये जाने चाहिए, जब शहर स्मार्ट बनाये जा सकते हैं तो गांव क्यों नही? सुझाव है कि देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लाक में लाटरी सिस्टम से चयनित 2,3 गाँव को स्मार्ट गांव बनाया जाए, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे एक बड़ा अस्पताल, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल, हाई स्कूल, आई टी आई, लायब्रेरी, सड़क, पेय जल, बिजली, गार्डन, खेलकूद का मैदान, सामुदायिक भवन, सुलभ शौचालय, डिजास्टर मेनेजमेंट, कस्टम हायरिंग सेन्टर, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जल संरक्षण के माडेल, संभावित उद्योग, आवागमन की बेहतर सुविधाएं आदि।

(9) आयात निर्यात नीति एवं डब्लू टी ओ के प्रभाव से मुक्ति

देश के किसानों के हितों को देखते हुए, उनके अनुकूल सामयिक, व्यवहारिक आयात निर्यात नीति बनाने व समय समय पर अनुकूल उचित निर्णय लेने हेतु किसानों की भागीदारी के साथ एक अलग समिति व नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। एक सरल सहज प्रक्रिया के तहत निर्यात में सीधे किसानों को जोड़ने हेतु उपाय खोजे जाएं। अभी बड़े निर्यातक व बिचौलिए निर्यात के सौदे से लाभान्वित होते है, किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। किसान भी उस लाभ का हिस्सा कैसे बन पाए, रास्ते तलाश किये जाने चाहिए।

1. निर्यात के अधिक से अधिक रास्ते खोले जाएं।
2. ऐसी जिंसों का आयात न किया जाए, जिससे देश के किसानों के उत्पाद की कीमत पर असर पड़े व किसानों को घाटा उठाना पड़े।
3. आयात निर्यात नीति पारदर्शी हो व प्रचारित प्रसारित की जाए।
4. वर्तमान में सरकार डब्लू टी ओ के प्रभाव से ग्रसित है। उस पर अनुबंध के पालन की बाध्यता समाप्त कर, देश की परिस्थियों के अनुकूल देश के किसानों का हित संरक्षित किया जाना चाहिए।

(10) अनुदान/सब्सिडी/ग्रामीण उद्योग

(अ) अनुदान/सब्सिडी

विदेशों में अभी भी किसानों को भरपूर सब्सिडी दी जाती है। हम भी अमेरिका के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के अध्ययन हेतु देश से अमेरिका गये दल का हिस्सा रहे है। एक सप्ताह अलग–अलग गांव में किसानों

के यहां रुककर, स्थितियों का गहन अध्ययन किये जाने से स्पष्ट हुआ कि वहां के किसान 70 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार से प्राप्त करते है। खेती की व खेती के अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएं वहां की सरकार उन्हें देती है। विडंबना है, हमारे यहां डब्लू टी ओ WTO के दवाब में बहस होती है। हमारी मांग है कि सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जाये।

अभी सब्सिडी का लाभ निर्माता, वितरकों को मिलता है, बिजली सब्सिडी का भी यही हाल है, जो कीमत बढ़ा कर और सब्सिडी हड़पने और अधिक लाभ लेने की कोशिश में रहते हैं। सब्सिडी का फायदा किसान को सीधे कैसे प्राप्त हो, इसके मैकेनिज्म पर विचार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण उद्योगों, नवाचार खेती की अन्य विधाओं, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य, बकरी पालन आदि पर अधिक से अधिक सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधों की स्थापना

जब तक किसानों को खेती के अतिरिक्त, आय के अन्य श्रोतों से नहीं जोड़ा जाएगा, केवल खेती पर निर्भर रहकर उसकी उन्नति संभव नही है, अतः ग्रामीण क्षेत्रो में लघु, कुटीर उद्योगों की न केवल स्थापना की जाए, वरन किसानों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाए, उनके रॉमटेरियल व बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण भाइयो की जन भागीदारी से ही लगाये जाएं। जिससे उसकी भी लाभ में हिस्से दारी हो सके।

(11) जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना आज की महती आवश्यकता है, इसके विकास हेतु सघन कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सब्सिडी और विपणन की व्यवस्था किये जाने हेतु नीति बनाई जाना चाहिए। जैविक उत्पाद का समर्थन मूल्य तय किया जाए। सरकार द्वारा उसकी खरीदी व संस्थानों के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(12) सिंचाई व जल संरक्षण

सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं, स्टॉप डेम, चेक डेम, आदि को प्रोत्साहित किये जाने हेतु योजनाएं बनाई जाए। नहरों के निर्माण और रख रखाव के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाए। राशि बढ़ाई जाएं। विडंबना है अभी नहरों का पचास प्रतिशत ही उपयोग हो पा रहा है। मरमत व सुधार कार्य हेतु विभाग के पास पर्याप्त राशि ही नहीं है। ठेके के पुराने अव्यवहारिक नियमों को बदले जाने की आवश्यकता है।

नहरों के दोनों ओर खेत पहुंच मार्ग न होने से किसानों को खेतों तक पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों ओर पक्की सड़को का निर्माण कराया जाए।

निजी ट्यूब वेल पर सब्सिडी पुनः चालू की जाए। भूजल बढ़ोतरी व जल संरक्षण हेतु योजनाएं चलाई जाए, तालाब, कुएं आदि के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। पुराने तालाबो, बावली, कुओं को पानी से भरने व उन्हें अन्य उपयोग से रोकने कानून बनाया जाए। उनका संरक्षण शाशकीय स्तर पर किया जाए।

(13) बिजली

देश मे बिजली की मॉग और सप्लाई में भारी अंतर है, इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। गुणवत्ता की बिजली प्रदाय सुनिश्चित की जाए, रख रखाव व संरचना हेतु अतिरिक्त धन राशि का आबंटन हो। ऐसी योजना बने जिससे आगामी 5 साल में कृषि के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली मिल पाए। बिजली की राष्ट्रीय योजना/नीति बने, जिससे सभी प्रान्तों में समान नियम व दरें तथा समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(14) सोलर/सौर्य ऊर्जा

सोलर बिजली को प्रोत्साहित किया जाए। इसे सस्ता और आम पहुंच के दायरे में लाया

जाए। हर खेत व हर किसान तक इसे पहुंचाया जाए। इस हेतु पर्याप्त अनुदान व संसाधन मुहैया कराए जाएं। इसे युद्ध स्तर पर प्राथमिकता दी जाए। इसकी सब्सिडी सरकार द्वारा आधी कर दी गई है, इसे यथावत किया जाये। योजनाओं के लिए वर्तमान का बजट भी होल्ड किया गया है, इसे तुरंत रिलीज किया जाए।

(15) गांव की शासकीय पड़त भूमि, गोचर भूमि का उपयोग

गावों में उपलब्ध पड़ती पड़ी शासकीय जमीन, गोचर आदि की 5 एकड़ तक की जमीन को पशुओं हेतु आरक्षित व संरक्षित किया जाए। शेष जमीन को उसी गांव के भूमि हींन या एक या दो एकड़ से कम जोत वाले किसान को कृषि उत्पादन हेतु सामूहिक रुप से दी जाए। मनरेगा को भी इससे जोड़ा जाकर इसका विकास किया जाए, इससे गांव में रोजगार बढेंगे व पलायन रुकेगा। इसमे गौ पालन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये।

राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर जो वृक्षा रोपण कार्यक्रम किये जाते हैं, उनमें पौधे प्रायवेट नर्षरियों से खरीदे जाते हैं, उसकी जगह इन जमीनों पर नर्सरी बनाई जाये,और पौधे यहीं से खरीदे जाएं। गो मूत्र व गोबर एकत्रीकरण तथा गोबर गैस प्लांट, सोलर प्लांट आदि के कार्य भी इन जमीनों में किये जा सकते हैं।

(16) ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतो में विकास कार्य के लिए आबंटित राशि के खर्च हेतु भी अन्य जगहों की तरह पारदर्शी टेंडर प्रथा लागू की जाए तथा कार्यो की निगरानी हेतु ठोस प्रणाली, मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके।

(17) सहकारिता क्षेत्र

विगत दिनों में सहकारिता के क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। इसे मजबूत करने विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण सहकारी समितियां भारी वित्तीय संकट से गुजर रही हैं, डिफाल्टर हो गई है। आदान सामग्री, खाद, बीज दवाएं या उत्पाद खरीद व अन्य कार्य नहीं कर पा रही हैं। इन्हें शसक्त बनाये जाने की आवश्यकता है। समितियों के कार्यों का दायरा बढ़ाया जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की जरूरतें एक ही स्थान पर ही, कम दामों में पूरी हो सकें।

सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ हैं। एक ससक्त माध्यम हैं। इन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इन्हें अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक सहकारी समितियों में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

(18) खेत सड़क योजना

गांव में खेत तक जाने की सुविधा का अभाव, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता है। किसी किसान का बीच में खेत होने पर आवागमन में विवादों की स्थिति निर्मित होती है, इस हेतु खेत सड़क योजना/नीति/ कानून बनाकर इसे सख्ती से लागू किया जाए।

(19) खाद–बीज

किसानों की मांग के अनुरूप खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किये जायें। नकली खाद, दवाइयों और उनके एम आर पी पर नियंत्रण हेतु प्रभावशाली ठोस प्रणाली बनाई जाए। नकली खाद, बीज एवं दवाओं की जांच हेतु किसान यदि अपना सेम्पल स्वयं टेस्ट कराना चाहे तो उसके सेम्पल भी टेस्टिंग हेतु स्वीकार किये जायें। ऐसा प्रावधान कानून में किया जाए।

(20) कृषि विश्व विद्यालय एवं अनुसंधान

कृषि विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक बीज बनाने दवाब डाला जाए व किसानों के लिए मिट्टी, खाद, बीज, दवाओं की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए जाएं। वर्तमान में किसान यहां से खाद और दवाओं का परीक्षण नहीं करा सकते, किसानों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। कृषि कालेजों द्वारा कृषि विकास हेतु

लेब टू लेंड प्रोग्राम संचालित करवाये जाएं। जो अभी बंद हो गए हैं। वैज्ञानिको की सेवाएं किसानों के लिये सुनिश्चित की जाये, वैज्ञानिक खेतों में भ्रमण करने उपलब्ध रहें, ऐसे निर्देश दिए जाएं। कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। कृषि कॉलेज से निकले छात्रों को प्रमुखता से रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराई जाए।

देश के विकसित कृषि क्षेत्रों के भ्रमण हेतु किसानों के लिए अलग से प्रावधान किया जाए।

(21) जानवरों से सुरक्षा

आवारा व जंगली जानवरों से खेती में नुकसान एक बहुत बड़ी समस्या है, ज्ञात हो कि हाल में ही उत्तरप्रदेश के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया, यह पूरे देश की समस्या है। इस पर ठोस कार्यवाही हेतु नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। जंगली जानवर से फसल सुरक्षा हेतु कड़े उपाय किये जायें। सुझाव है की तार बंदी या सोलर फेंसिंग पर सभी लघु व सीमांत एवम बड़े किसानों को एक समान या समूह बनाकर तार बंदी पर अनुदान उपलब्ध कराया जाए। जिससे जानवर भी विचरण कर सके और हमारी कृषि भी सुरक्षित हो सके।

(22) कस्टम हायरिंग सेंटर

हमारे देश मे 83 प्रतिशत छोटे किसान है, जो अपनी खेती के लिए कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते, उन्हें खेती के कार्य हेतु लेबर भी समय पर उपलब्ध नहीं होते। हमारा सुझाव है कि प्रत्येक तहसील में एक शासकीय कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो, जहां सभी उपकरण ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से लेकर सभी मशीन, ड्रोन आदि भी किराए पर उपलब्ध रहें। पहले कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में ये सेंटर स्थ. ापित थे। विडंबना है तहसीलों में स्थापना की बात तो दूर, जिले में भी इसे बंद कर दिया गया है। इसकी स्थापना से कृषि में नई क्रांति आएगी, इस पर प्राथमिकता से विचार किया जाए। इस हेतु अलग से बजट में प्रावधान की आवश्यकता है।

वर्तमान में निजी क्षेत्रों में कुछ चुने हुए किसानों को कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सब्सिडी पर ट्रेक्टर व अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जिनका उपयोग वे किसान अपने निजी काम के लिए करते हैं, आम किसानो को उसका लाभ नहीं मिल पाता, अतः हमारा सुझाव है कि हायरिंग यूनिट का संचालन शासन द्वारा ही किया जाना चाहिए। जिससे कम दरों पर किसान इस सुविधा का लाभ उठा पाएं।

(23) ट्रेक्टर, कृषि उपकरण, मशीनों, खाद, दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण

कृषि आदान की कीमतों में अप्रत्याशित वद्धि हो रही है, निर्माता कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, सब्सिडी की लूट मची हुई है, किसानों की लागत बढ़ रही है। इस पर निगरानी व नियंत्रण हेतु पारदर्शी मैकेनिज्म डिवेलप किया जाना चाहिए ।

(24) कृषि उपकरण, सभी आदान सामग्री पर ऋण में व्याज कम किया जाए

विडंबना है कि कार, मकान के लिए 5 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिल जाता है और ट्रैक्टर पर 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। ट्रेक्टर सहित सभी कृषि उपकरण व सभी आदान सामग्री के लिए ऋण, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(25) कृषि उपज मंडियों का विस्तार व विकास

देश मे अभी 6 हजार मंडियां हैं। जबकि जरूरत 42 हजार मंडियों की है। अतः मंडियों की स्थापना तथा वर्तमान मंडियों के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यक्ता है। कृषि उपज मंडियों में पर्याप्त शेड उपलब्ध हों, किसानों के ठहरने, भोजन की उपलब्धता सस्ती दरों में सुनिश्चित की जाए। मंडी समितियों के साथ माह में एक बार किसानों की बैठक रखी जाए ताकि समय–समय पर किसानों की समस्याओं

पर चर्चा की जाकर, निराकरण सुगम हो सके।

विशेष –

विशेष बात यह ही कि उक्त सभी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, सुझाव आदि पर अमल तभी संभव है, जब खेत, किसान व गांव के लिए आबंटित बजट में बढ़ोतरी की जाए। वर्तमान बजट में यह सब संभव नहीं है। अतः हमारी मुख्य मांग यह है कि 65 प्रतिशत आबादी के लिए बजट में हमारी हिस्से दारी कम से कम 25 प्रतिशत होनी ही चाहिए। इससे कम में ग्राम व किसान उत्थान संभव नहीं है।

हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है। अलग अलग क्षेत्रो, प्रान्तों की भौगोलिक स्थितियां, जलवायु, मौसम, संरचनाएं भिन्न हैं। कृषि की समस्याएं भी अलग–अलग हैं। अतः सभी क्षेत्रों से सुझाव आमंत्रित कर स्थितियों पर गहन विचार व आंकलन कर, समग्र कृषक हितेषी नीतियों का समावेश किया जाना अपेक्षित है।

उक्त सुझाव किसान भाइयों की ओर से विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु, निवेदन एवं आग्रह के साथ प्रेषित हैं।

संकलन एवं प्रस्तूति
के के अग्रवाल
मो.: 9827068879,
ईमेल : *kkajabalpur@gmail-com*

सहयोग
रूपेंद्र पटेल डॉ. ब्रजेष अर्जरिया

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

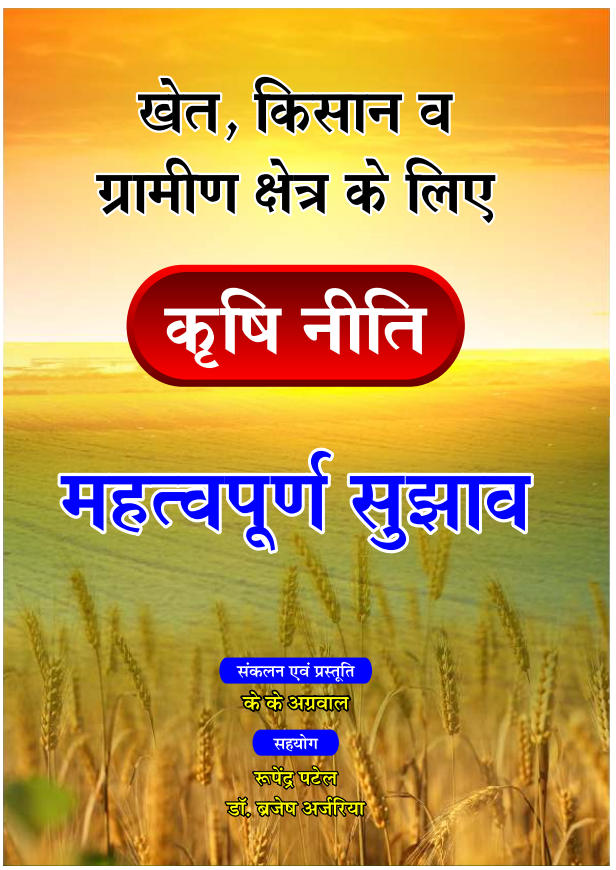

RNI No. 831/1957 **प्रकाशन की तिथि : 1 अगस्त, 2022**
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 **एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,**
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23 **तारीख 4 एवं 5, अगस्त 2022**

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**